


RTI.वैक्सीन इच्छानुसार है
कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता

नोट : ध्यान रहे मरने व दुष्प्रभाव होने
पर मुआवजा नहीं मिलेगा

बडा सवाल :फिर विभागों
के द्वारा टॉर्चर, ब्लैकमेल करके क्यों
लगाई जा रही है ?

RSP
Pl. Issue
9/4/2021



आरटीआई मामला
साधारण डाक द्वारा
BY ORDINARY POST

पत्रिका संख्या जेड.33013/13/2021-प्रतिरक्षण
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रतिरक्षण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 8 अप्रैल, 2021

सेवा में,

श्री मोहित खटाना,
चेंबर नंबर 14, गेट नंबर 2,
डिस्ट्रिक्स कोर्ट गुरुग्राम,
हरियाणा-122001.
ईमेल:- nkhutana5200@gmail.com

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी के संबंध में।

महोदय,

कृपया समान विषय पर अपने आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या एमओएचएफडब्ल्यू/आर/टी/21/00486 दिनांक 07.03.2021, एमओएचएफडब्ल्यू/आर/टी/21/00677 दिनांक 23.03.2021, व एमओएचएफडब्ल्यू/आर/टी/21/00687 दिनांक 24.03.2021 का सन्दर्भ ले। इस सम्बन्ध में, बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है:

प्रश्न	उत्तर
1. विभाग के रिकार्ड अनुसार देश में सभी प्रकार के टीकाकरण के कारण कुल कितनी मौतें हुई हैं वर्ष 1980 से वर्ष 2011 तक वार्षिक अनुसार पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराया जाये हमें कागजातों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	ऐसा कोई डेटा मैटेन नहीं है। तथापि, इस संबंध में अपेक्षित जानकारी निम्न लिंक पर देख सकते हैं। https://main.mohfw.gov.in/Organisation/Departments-of-Health-and-Family-Welfare/immunization/aefi-reports लिंक में उपलब्ध जानकारी प्रमाणिक है और इस सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. टीका लगाने के समय अभिभावकों को टिके के लाभ व दुष्प्रभावों की जानकारी देने को लेकर अगर कोई सरकारी नियम है तो उस नियम की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि एएनएम द्वारा बच्चे के टीकाकरण के बाद 4 मुख्य संदेश दिए जाते हैं। इस संबंध में अपेक्षित जानकारी निम्न लिंक पर देख सकते हैं। https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=3&sublinkid=944&lid=378
3. कोरोना की वैक्सीन में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किये गए हैं सभी इंग्रेडिएंट्स के नाम की सूची उपलब्ध कराई जाये हमें कागजातों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	इस संबंध में आरटीआई आवेदन की प्रतिलिपि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स विनियमन को सीधे जानकारी उपलब्ध करने के लिए हस्तांतरित की जा रही है।
4. किसी भी प्रकार के टीके से हुए दुष्प्रभाव के कारण मरीज की मौत या विकलांगता होने पर केंद्र / राज्य सरकार कितनी धनराशि पीड़ित या उसके अभिभावकों को प्रदान करती है कागजातों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी सेवा और गंभीर Adverse event following immunization(AEFI) को मुफ्त उपचार प्रदान किया जाता है।
5. सम्बंधित विभाग/सरकार के द्वारा किसी भी वैक्सीन को बनाने में सभी प्रकार के ट्रायल सहित कितने समय का प्रोटोकॉल / नियम निर्धारित है कागजातों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	इस संबंध में आरटीआई आवेदन की प्रतिलिपि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स विनियमन को सीधे जानकारी उपलब्ध करने के लिए हस्तांतरित की जा रही है।
6. किसान आन्दोलन में सिन्धु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कुडली बॉर्डर पर जितने भी लोग बगैर सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र जैसे नियमों का पालन नहीं करने के कारण कोरोना का शिकार हो चुके उनकी मौत के आंकड़े की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	
7. देश के उन सभी राज्यों में कोरोना के कारण हुई लोगों की मौत का आंकड़ा उपलब्ध कराया जाए जो चुनावों के समय बगैर सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र जैसे नियमों का पालन नहीं कर सके और कोरोना महामारी का शिकार हो गए हमें कागजातों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	
8. कोरोना को लेकर नागरिकों को लगाई जाने वाली वैक्सीन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किये गए हैं पूरी सूची की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	
9. कोरोना को लेकर नागरिकों को लगाई जाने वाली वैक्सीन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किये गए हैं पूरी सूची की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	
10. कोरोना के कारण देश में जितने भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है जवाब देने की तारीख तक आंकड़े की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए।	

11. कोरोना को लेकर नागरिकों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के कारण देश में हुई मौत के कुल आंकड़े की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए	ऐसा कोई डेटा मेंटेन नहीं है। तथापि, इस संबंध में अपेक्षित जानकारी निम्न लिंक पर देख सकते हैं। https://main.mohfw.gov.in/Organisation/Departments-of-Health-and-Family-Welfare/immunization/aefi-reports लिंक में उपलब्ध जानकारी प्रमाणिक है और इस सत्यापित करने की आवश्यकतानहीं है
12. कोरोना को लेकर नागरिकों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल व प्रभावकारिता से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए व किसी भी प्रकार का लिंक उपलब्ध नहीं कराए	इस संबंध में आरटीआई आवेदन की प्रतिलिपि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स विनियमन को सीधे जानकारी उपलब्ध करने के लिए हस्तांतरित की जा रही है।

2. यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री एलंगबाम रॉबर्ट सिंह से अपील की जा सकती है, निदेशक (आरसीएच), कमरा नंबर-405 डी-विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, 30 दिनों के भीतर या इस उत्तर की प्राप्ति, जो इस मामले में अपीलीय प्राधिकरण है।

भवदीय

डी.के. राव

(डी०एन०के० कुटुम्बा राव)
अवर सचिव एवं सीपीआईओ, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23063724

प्रति सूचनार्थ हेतु:

1. सीपीआईओ - राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केंद्र केन्द्र, 22 शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली -110054, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, |
2. सीपीआईओ - कोविड सेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली। MOHFW/R/T/21/00486 दिनांक 07.03.2021, MOHFW/R/T/21/00677 दिनांक 23.03.2021, MOHFW/R/T/2100687 दिनांक 24.03.2021।
3. सेक्शन ऑफिसर, आरटीआई सेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली। MOHFW/R/T/21/00486 दिनांक 07.03.2021, MOHFW/R/T/21/00677 दिनांक 23.03.2021, MOHFW/R/T/2100687 दिनांक 24.03.2021।
4. अवर सचिव के निजी सचिव (टीकाकरण)

Pratibha
9/4/21

File No. Z.33013/04/2021-CVCA
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(COVID-19 Vaccine Administration Cell)

Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Dated 6th April, 2021

To

Sh. Mohit Khatana Advocate,
Chamber no. 14, Gate no. 2,
Distt. Court Gurugram, Haryana-122001
E-mail id:- Mkhatana5200@gmail.com

Subject: -Information sought under RTi Act 2005 - reg.

Sir,


Please refer to your RTI application Registration No. MOHFW/R/T/21/00573/1, dated 16.03.2021, seeking information under RTI Act, 2005. The information in respect of Covid Vaccine Administration Cell, MoHFW is as under:

संख्या क्रम	आवेदक के प्रश्न	उत्तर
i	In the vaccine of COVID 19 what are the ingredients include to develop it, provide the name of ingredients in it.	Transferred to CDSCO
ii	What is the percentage of accuracy of RTPCR test for COVID 19 inform us.	Transferred to ICMR
iii	When RTPCR test got approval for COVID testing and from which organisation (Indian govt./WHO). provide valid documents of approval with effecting date.	Transferred to CDSCO
iv	What are the set rules to use mask for COVID 19 to prevent from COVID 19. Is there any exemption to use mask on any place for example park, office, temple and a restaurant with eating spoon. Provide valid documents.	EMR already provided information on 11.01.2021
v	What is the size of virus of COVID 19, TUBERCULOSIS, H1N1 VIRUS, SWINE FLU. provide valid documents.	Transferred to CDSCO/ICMR
vi	What is the R Naught (capacity to spread the disease) of COVID 19, TUBERCULOSIS, H1N1 VIRUS, SWINE FLU and COMMON COLD. provide a valid documents.	Transferred to NCDC/ICMR
vii	According to protocol what are the medicines to be given to the patients of COVID 19 in past, in present which medicines are in use, List the names of all medicines use in past and present.	EMR already provided information

viii	What are the set rules and regulations decide by the govt. in relation to private/public hospitals for COVID19 weather common public can avail any service without any charge. Provide the valid documents of set rules.	Transferred to PH section
ix	What is the compensation to be provided threw central government/state government to a common person when or if he/she got died, or become disable or partial disability with use of any vaccination. provide the valid documents in relation of that matter.	There is no provision of compensation however, all cases of severe and serious AEFIs are to be provided free of cost treatment at public health facilities.
x	According to protocol of a relative department/government what is the set rules and defined time bond with proper trials to develop a vaccine of any desease before COVID 19. provide the valid documents in relation of that matter.	Point no. x to xii Transferred to CDSCO
xi	According to science what is FETAL BOVINE SERUM what is the use of it in medicine and vaccine. provide the valid documents in relation of that matter.	
xii	What is the percentage of effectiveness of vaccine of COVID 19 and what are the side effects of this vaccine. provide the valid documents in relation of that matter.	
xiii	What are the set rules decided by government and health department in relation to inject the vaccine of COVID 19,who are preferencial group first (age group, profession , health risk). provide the valid documents in relation of that matter.	Please see Covid-19 Vaccines Operational Guidelines available at https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19VaccineOG111Chapter16.pdf .
xiv	Is the vaccine for COVID 19 is compulsory for every citizen, or not, if this is compulsory for all but somebody don't want this vaccine then in this case what will happen. provide the valid information in that matter.	Covid-19 Vaccination is voluntary.

2. If you are not satisfied with the above reply, an appeal can be made to Mrs. Sarita Nair, Deputy Secretary(CVAC), R. No. 435-C Wing, (Tel. No. 011-23061554), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan – 110011 within 30 days of receipt of this reply, who is the appellate authority in this matter.

Yours faithfully,



(Satyendra Singh)

Under Secretary to the Govt. of India & CPIO

Phone: 23062959

नोट : टॉर्चर करके वैक्सीन लगाने को लेकर काउंसिलिंग से तैयार किए गए रोबोट रूपी सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों से कैसे निपटे ?

अधिकारियों को समूहों में रहकर लिखित में पत्र दे और उसकी प्रति रिसीविंग करा ले । पत्र में मुख्य 7 बिंदु इस प्रकार होंगे

1 : हमें केंद्र/राज्य सरकार के द्वारा जारी सरकारी आदेश की प्रति प्रदान कि जाए जिसमें ये जानकारी हो कि वैक्सीन हर किसी नागरिक के लिए अनिवार्य है अन्यथा सभी सुविधाएं रोक दी जाएंगी ।

2 : हमें केंद्र/राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की सरकारी प्रति प्रदान कि जाए जिसमें ये जानकारी हो कि वैक्सीन में क्या - क्या इंग्रीडिएंट्स डाले गए है और वो किस प्रकार हमारे शरीर के लिए लाभकारी है ।

3 : वैक्सीन लगने के बाद अगर हमारी मृत्यु होती है या दुष्प्रभाव होते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे मेरी मृत्यु होने पर मेरे परिवार को कम से कम 20 करोड़ व दुष्प्रभाव होने पर 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा (स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया जाए)

4 : वैक्सीन में गाय के भ्रूण का रक्त नहीं है इसकी गारंटी स्टैम्प पेपर पर लिख कर प्रदान कि जाए ।

5 : वैक्सीन लगने के बाद अगर मेरी मृत्यु होती है या दुष्प्रभाव होते है तो ये खबर प्रेस कांफ्रेंस करके मीडिया के सामने बताई जाएगी और मेरे जिले में कम से कम 10 लाख पर्चे बांटे जाएंगे (स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया जाए) ।

6 : वैक्सीन लगने के बाद अगर मेरी मृत्यु होती है या दुष्प्रभाव होते है तो भविष्य में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी (स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया जाए)

7 : वैक्सीन लगने के बाद अगर मेरी मृत्यु होती है या दुष्प्रभाव होते है तो मैं या मेरा परिवार कोर्ट में केस दर्ज करा सकते है जिसके लिए आपको कोई आपत्ति नहीं होगी (स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया जाए)

नोट : काउंसिलिंग करके तैयार किए गए रोबोट रूपी अधिकारियों को इस पत्र को सौंपते समय उनका स्टिंग भी करे जिससे उनकी प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो जाएं व देश को इनकी तानाशाही से अवगत कराया जा सके ।